

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग
:: अधिसूचना ::

पटना-15, दिनांक 29-4-2018

संख्या-21/बी.पी.एस.सी.-12/2011, सा.प्र. 5516 / भारतीय संविधान के अनुच्छेद-316 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार के राज्यपाल, श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता (सेवानिवृत्त अपर सचिव, बिहार प्रशासनिक सेवा), को पद भार ग्रहण करने की तिथि के प्रभाव से बिहार लोक सेवा आयोग के सदस्य के पद पर नियुक्त करते हैं।

2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद-316(2) के अनुसार इनकी कार्यावधि, पद भार ग्रहण की तिथि से 06 (छः) वर्ष या 62 वर्ष की उम्र सीमा, में से जो भी पहले हो, तक होगी।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(राजेन्द्र सिंह)

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-21/ बी.पी.एस.सी.-12/2011, सा.प्र. 5516 / पटना-15, दिनांक- 29-4-2018

प्रतिलिपि:-ई.-गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सी.डी. की प्रति के साथ दो प्रतियों में प्रेषित करते हुए अनुरोध है कि इसे राजपत्र में प्रकाशित करते हुए इसकी 50 (पचास) प्रतियाँ सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने की कृपा की जाय।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-21/ बी.पी.एस.सी.-12/2011, सा.प्र. 5516 / पटना-15, दिनांक- 29-4-2018

प्रतिलिपि:-महालेखाकार, बिहार, पटना/राज्यपाल के प्रधान सचिव/मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सचिव, बिहार लोक सेवा आयोग, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/श्री राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता (सेवानिवृत्त अपर सचिव, बिहार प्रशासनिक सेवा) को सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-21/ बी.पी.एस.सी.-12/2011, सा.प्र. 5516 / पटना-15, दिनांक- 29-4-2018

प्रतिलिपि:- सरकार के सभी विभाग/विभागाध्यक्ष को सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।

ज्ञापांक:-21/ बी.पी.एस.सी.-12/2011, सा.प्र. 5516 / पटना-15, दिनांक- 29-4-2018

प्रतिलिपि:-आई.टी. मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के अपर सचिव।